भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 378

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**,1941 (**शक**) **को उत्तर के लिए**

बाड़ से आगे की भूमि के विरुद्ध **क्षतिपूर्ति**

† 378. **श्री जसबीर सिंह गिलः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किसानों को भूमि, जो बाड़ लगाने के रास्ते में पड़ रही है, **उसके** विरुद्ध **सरकार** द्वारा **क्षतिपूर्ति दी जानी थी लेकिन उन्हें गत दो वर्षों से कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है**;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में समयबद्ध **तरीके से इस क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी**; **और**

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत सरकार ने पंजाब सरकार से प्राप्त मांग के आधार वर्ष 2017 तक के लिए प्रर्तिपूर्ति के अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है। शेष अवधि हेतु प्रर्तिपूर्ति का भुगतान केन्द्रीय सरकार के हिस्से के लिए पंजाब राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

******